चिकित्सा निर्देश

प्रतिलिपि 5/6/15

आवश्यक

5-6-2015

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्याः–907 एफए/15–155एफए/98 दिनांकः 04जून,2015

1 प्रधान प्रबन्धक,
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।

2 प्रधानाचार्य,प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।

3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।

4 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,
उ0प्र0परिवहन निगम।

5 प्रबन्धक(आहरण–वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय,लखनऊ।

6 प्रबन्धक,कारसेक्शन,
उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ।

7 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :– **चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यालय भेजे जाने वाले प्रस्तावो की औपचारिकातायें ईकाई स्तर पर परीक्षण कर प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

प्रायः देखा गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणो को सम्बन्धित कार्मिक से वाउचर प्राप्त होने के उपरांत बिना परीक्षण किये सीधे मुख्यालय प्रतिपूर्ति हेतु भेज दिये जाते है। मुख्यालय स्तर पर जब उन बिलो का परीक्षण किया जाता है तो उसमें भिन्न–भिन्न प्रकार की कमियां पाई जाती है जिसे पूर्ण कराने हेतु पुनः क्षेत्रो को प्रकरणो को वापस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है तथा प्रतिपूर्ति में भी विलम्ब होता है। इसलिये क्षेत्रो को मुख्यालय प्रस्ताव भेजने से पूर्व निम्न दिशा निर्देशो का स्पष्ट अवलोकन कर प्राप्त प्रस्तावो को परीक्षण उपरांत मुख्यालय प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण भेजे जाये, जिससे प्रतिपूर्ति में अनावश्यक विलम्ब न होने पाये:–

1. भर्ती अवधि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र–बी भरा जायेगा।
2. वाहय अवधि के इलाज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र–ए भरा जायेगा।
3. भर्ती अवधि का तथा वाहय अवधि के प्रस्ताव यथा संभव पृथक–पृथक चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु भेजे जाये।
4. वाहय अवधि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा द्वारा निर्गत संदर्भित दवा के पर्चे (Prescription) की छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अवश्य संलग्न होनी चाहिये।
5. सरकारी अस्पताल में इलाज के अतिरिक्त निजी अस्पताल में इलाज कराने हेतु सरकारी अस्पताल का संदर्भ अनिवार्य है। यदि इमरजेंसी की दशा में सीधे निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराया जाता है जिसके बिल प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यालय भेजे जाते है तो संबंधित कार्मिक को इमरजेंसी का उल्लेख करते हुये एक प्रार्थना पत्र व शपथपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक को देना होगा जिसे प्रस्ताव के साथ संलग्न कर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय द्वारा मुख्यालय भेजा जायें।

EMED2/2014

Downloaded From www.upsrtc.com

6. प्रस्ताव के साथ इलाज के वाउचर्स की लिस्ट संलग्न होनी चाहिये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संबंधित कार्मिक के वेतन के आधार पर देयता और अदेय की लिस्ट के साथ बिल सत्यापित कराये जाये।
7. प्रायः देखा गया है कि कई कर्मचारी बिना किसी सक्षम चिकित्सक के संदर्भ प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में इलाज कराते है जबकि चिकित्सा नियमावली 1994 के नियम-22 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "राजकीय चिकित्सालयों के सक्षम चिकित्सक के संदर्भित करने एवं निदेशक मण्डल की अनुमति से (विशेष परिस्थितियों को छोड़ते हुए) प्रदेश के बाहर केवल उन्ही लोगो के उपचार के लिये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य हो सकेगी, जिसकी सुविधा प्रदेश के अन्दर उपलब्ध न हो अथवा प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा प्रदेश के बाहर चिकित्सा/शल्य चिकित्सा कराने की संस्तुति की गयी हो।"
8. चिकित्सा नियमावली 1994 के उपनियम-20 में उल्लिखित गम्भीर बीमारी की दशा में ही वाह्य अवधि की बीमारी के व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर बीमारी का प्रमाण पत्र देने पर ही वाह्य अवधि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति देय होगी।
9. नियमावली में निजी चिकित्सालय में इलाज की स्थिति में चिकित्सा अग्रिम अनुमन्य नही है। मात्र सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर प्राप्त व्यय भार के आधार पर अस्पताल के व्यय आंगणन का 75 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम अनुमन्य करने का प्राविधान है। इस प्रकार के प्रकरणो का परीक्षण क्षेत्रीय स्तर पर करने के बाद ही प्रकरण मुख्यालय संदर्भित किया जाये।
10. समस्त कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु जो प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाये उस प्रस्ताव की एक-एक फोटो स्टेट प्रतियां संलग्नो सहित अपने कार्यालय में भी सुलभ संदर्भ हेतु रखे।
11. संबंधित कार्मिक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रत्येक बिल पर "मेरे द्वारा भुगतान किया गया है" लिखकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
12. प्रायः देखा गया है कि कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण मुख्यालय भेजे गये है जिसमें निजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बिलो को प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है जबकि चिकित्सा नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के प्रकरणो में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा वाउचरो को सरकारी दर पर सत्यापित कराये जाये।

अतः क्षेत्रीय स्तर पर उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर भली भाँति परीक्षण करने के पश्चात ही प्रकरण चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यालय भेजना सुनिश्चित किया जाये। जिससे इनका निराकरण त्वरित गति से कराया जा सके।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक

Downloaded From www.upsfc.com